न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 01/2011

मै0 मल्का गैस सर्विस, एच.पी.सी. डीलर नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राज. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर । .....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (नियन्त्रण एवं अपील) आदेश 1990 के नियम 20 विरूद्ध आदेश क. रसद/गैस/2011/42 दिनांक 18.01.2011

उपस्थितः– 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी–पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक 23.08.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट फर्म को हिन्दुस्तान कॉरपोरेशन लि0 द्वारा नसीराबाद व आस पास के क्षैत्र में गैस आपूर्ति के लिए डीलरशिप मिली हुई है। अपीलान्ट फर्म का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 18.01.2011 को किया जाकर बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट फर्म को जारी प्राधिकार पत्र आदेश क.रसद/गैस/2011/42 दिनांक 18.01.2011 से निरस्त किये जाने के जिला रसद अधिकारी अजमेर, के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट फर्म को राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (नियन्त्रण एवं अपील) आदेश 1990 के अन्तर्गत हिन्दुस्तान कॉरपोरेशन लि0 द्वारा नसीराबाद शहर व आस पास के गॉवों में रसाई गैस आपूर्ति की डीलर शीप/अनुज्ञा–पत्र 22.6.1991 को जारी किया गया। यह लाईसेन्स दिनांक 31.3.2023 तक रिन्यु है। अपीलान्ट फर्म अनुज्ञापत्र में अंकित शर्तो एवं निर्देशों की पूर्णतया पालना करती आ रही है। नसीराबाद में चली रही राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलान्ट फर्म के विरूद्ध झूठी शिकायतें किये जाने एवं उसका अखबार में प्रकाशन करवाये जाने कारण फर्म का निरीक्षण दिनांक 4.6.2010 व उसके पश्चात दिनांक 7.09.2010 को किया गया। निरीक्षण मे आई सामान्य कमियों को आधार मानकर अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 12.1.2011 से भविष्य में सर्तकता बरतने की चेतावनी के साथ अपीलान्ट फर्म की प्रतिभूति राशि रूपये 1,000/– व 1,000/– जब्त सरकार किये जाने के आदेश पारित किये जाकर उन्ही कारणों को अंकित करते हुए निलम्बन की कार्यवाही करना विधि विरूद्ध है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अभिभाषक

Scanned by CamScanner

विधि का सिद्धान्त है कि जब किसी एक त्रूटि के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट फर्म वर्ष 1991 से एच.पी.सी.एल. का डीलर है, उक्त अवधि में किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। वर्तमान में की गई शिकायत राजनैतिक द्वेषता से ग्रसित है, जिसकी प्रति माननीय खाद्य मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाकर पुनः इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र भाष्कर में करवाया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा इसी शिकायत के आधार पर अपीलान्ट फर्म को नोटिस देकर जवाब दिनांक 25.1.2011 तक मांगा परन्तु जवाब का इन्तजार किये बिना ही आक्षेपीय आदेश दिनांक 18.1.2011 को पारित कर दिया गया। केश एण्ड केरी की रिबेट नहीं देने, 348 रिफिल के बदले 133 वाउचर पाये जाने का आरोप भी गलत है। सारे वाउचर एक स्थान पर नही रहते है। प्रत्येक डीलेवरी बॉय को अलग–अलग बण्डलो में बॉधकर वाउचर डिलेवरी के लिए दिये जाते है। उपभोक्ताओं से घरेलु गैस की निर्धारित मूल्य रूपये 349–30 ही वसूल की जाती है। एच.पी.सी.एल. के पत्र दिनांक 20.3.2009 के अनुसार गैस डिलेवरी पॉइन्ट से गैस टंकी उपलब्ध कराने पर कैश एण्ड कैरी की छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अपीलान्ट फर्म द्वारा गैस टंकी की काउन्टर डिलेवरी शिकायत में उल्लेखित स्थान से नहीं दी जा रही है। मौके पर कॉटा नही मिलने के तथ्य भी गलत अंकित किये गये है, कॉटा मौके पर ही नियमानुसार रखा हुआ था जिसे निरीक्षक महोदय द्वारा नहीं देखा गया। फर्म के पास एच.पी.सी.एल की वितरण शीप है, जिसके अपने विपणन (विक्रय) के नियम है, वितरण शिप पैट्रोलियम एक्ट से विनियमित होती है। कम्पनी द्वारा नियमित वितरणशीप द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण व अपने ग्राहकों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाता है। वितरण शिप में स्टॉक , वितरण डेटा, कनेक्शन प्राथमिकता का संधारण कम्प्यूटर के द्वारा होता है। जिस पर कम्पनी की ऑनलाइन निगरानी रहती है। जिसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी, अजमेर का आक्षेपित आदेश क्र. रसद/गैस/2011/42 दिनांक 18.01.2011 एवं आरोप पत्र क्र/रसद/विधि/2011/671 दिनांक 18.01.2011 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने कथन किया कि दिनांक 8.6.2010 को अपीलान्ट मैसर्स मल्का गैस सर्विस, एच.पी.सी. डीलर नसीराबाद, जिला अजमेर का निरीक्षण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के साथ किये जाने पर दिनांक 4.6.2010 से 8.06.2010 तक कारोबार तक का स्टॉक का संधारण नहीं पाया गया तथा नवीन कनेक्शन जारी करते समय उपभोक्ताओं को चाय, लाईटर, गैस चूल्हा आदि लेने के लिए बाध्य करना, नवीन गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर नहीं दिया जाना, गोदाम में रखे गये गैस सिलेण्डरों का सत्यापन नहीं करवाया जाना पाया गया। एजेन्सी के खिलाफ पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 7.09.2010 को पुनः निरीक्षण करवाये जाने पर गोदाम पर डिलेवरी के वक्त कैश एण्ड केरी रूपये 8/– कैश डिस्काउन्ट दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। दिनांक 21.09.2010 को माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के आकस्मिक भम्रण पर नसीराबाद के अनेक उपभोक्ताओं द्वारा 8/– रूपये रिबेट नहीं दिये जाने की पुष्टि की गई। अपीलान्ट फर्म के विरुद्ध गोदाम पर खाली एवं भरे हुए गैस सिलेण्डरों एवं प्रेशर रेगुलेटर के प्रारम्भिक स्टॉक का रजिस्टर संधारण

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

23/8/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

नहीं किया जाना और ना ही इनके मूल्य प्रदर्शन किया जाना, होम डिलेवरी नही देने, काउन्टर नहीं लगाने, एवं काउन्टर/गोदाम डिलेवरी पर रिबेट देने हेतु पाबन्द किये जाने के बावजूद विभागीय निर्देशों का निरन्तर उल्लघनं किया जाना पाया गया। माननीय खाद्य मंत्री महोदय के समक्ष दिनांक 21.09.10 को उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों की पुष्टि की गई। डीलर को गंभीर अनियमितताओं के कारण नियमानुसार नोटिस जारी कर जवाब व सुनवाई का मौका दिया जाकर बाद सुनवाई भविष्य में सतर्कता बरतने की चेतावनी के साथ रूपये 1000/– व 1000/– रूपये की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई। इसके पश्चात पुनः एजेन्सी की अनियमितताओं की शिकायत सूचना एवं संचार राज्य मंत्री नई दिल्ली के मार्फत प्राप्त होने एवं दैनिक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन होने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 17 एवं 18.01.2011 को पुनः आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर फर्म के काउन्टर से कैश केरी की रिबैट नहीं देने, माननीय खाद्य मत्री राजस्थान सरकार के निर्देशो की अवेहलना करने, गैस डिलेवरी, डिस्पेच रजिस्टर अपडेट नहीं रखने, आपूर्ति का अधिकारिक रिकार्ड नहीं रखने, दो दिवस पूर्व की आपूर्ति का हिसाब नहीं देने, 348 के स्थान पर 133 वाउचर ही प्रस्तुत करने, 75 प्रतिशत आपूर्ति काउन्टर डिलेवरी से करने, पाबन्द करने के बावजूद दिनांक 17.1.2011 के शेष वाउचर प्रस्तुत नहीं करने व उनमें अनियमितता करने, गौदाम पर तोल कॉटा नहीं होने, गोदाम पर स्टॉक मूल्य प्रदर्शन एवं बैकलॉग की स्थिति प्रदर्शित नहीं करने, अवैध एवं खतरो से भरे सिलेण्डर आपूर्ति के कैम्प लगाने, 100 किलो से अधिक गैस एक स्थान पर रखने, डी.बी.सी. धारकों को काउन्टर डिलेवरी देने, सिलेण्डर को अपराईट स्थिति में नहीं रखने, निर्धारित मूल्य से 70 पैसे प्रति रिफिल अधिक लेने, जॉच कार्य को प्रभावित करने, आपूर्ति टेम्पों में बोईग मशीन नहीं रखने, टेम्पों चालक के पास एजेन्सी की ओर दिये गये सिलेण्डरों का कोई चालान नही होने, ग्राम नांदला में आज तक होम डिलेवरी नहीं देने, जबरन चायपती उपभोक्ताओं को लेने के लिए बाध्य करने तथा स्टॉक में 7 (14.2 किलो भरे) सिलेण्डर कम पाये जाने, विभागीय आदेशों की निरन्तर अवेहलना किये जाने के कारण उक्त फर्म का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया। इसमे जिला रसद अधिकारी,अजमेर द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। अतः न्यायहित में अपील निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट फर्म के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बाद निरीक्षण अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार बाद सुनवाई आदेश दिनांक 12.01.2011 से भविष्य में सतर्कता बरतने की चेतावनी के साथ अपीलान्ट की रूपये 1000/– व 1000/– रूपये की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई। इसके पश्चात भी अपीलान्ट एजेन्सी के खिलाफ पुनः अनियमितताओं की शिकायत सूचना एवं संचार राज्य मंत्री नई दिल्ली के मार्फत प्राप्त होने एवं दैनिक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन होने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17 एवं 18.01.2011 को पुनः आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अपीलान्ट फर्म द्वारा होम डिलेवरी नही दिया जाना, काउन्टर/गोदाम डिलेवरी पर कैश केरी की रिबैट नहीं दिया जाकर उपभोक्ताओं को जबरन चायपती लेने के लिए बाध्य किया जाना पाया गया। गोदाम पर स्टॉक मूल्य एवं बैकलॉग की स्थिति प्रदर्शित नहीं करने, खतरो से भरे

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

सिलेण्डरों के अवैध रूप से आपूर्ति के कैम्प लगाने, 100 किलो से अधिक गैस एक स्थान पर रखने आदि कई अनियमितताएँ पाई गई। अपीलान्ट फर्म द्वारा विभागीय आदेशों एवं माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान सरकार के निर्देशों की निरन्तर अवहेलना करना एवं गंभीर अनियमितताएँ किये जाना पाये जाने पर ही जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा फर्म का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित किया गया है। इसमे जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई कानूनी आधार स्पष्ट नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपीय आदेश क.रसद/गैस/2011/42 दिनांक 18.01.2011 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.08.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/8/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner